

आयालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

शेरसिंह बराम भीरसिंह
दावा

०६/०५/२०२४ आजपह पत्रावली द्वारा
शेरसिंह के धारणा पत्र पर लाल बंदोस्ट
पत्र द्वारा धर्षी के धारणापत्र पर
अनुवासा धर्षी का निर्देशन खाति
उक्त अनुवासी सूचना में दिनांक
०३-०९-२०२५ को निर्णय पारित किया
गया था। उक्त उद्देश्य के लिए में एवं
अधिकृत डीडी में सम्पूर्ण खसरा
नम्बरान संख्या पर अंकित थे परन्तु
अविमाडिनी जारी करते समय खसरा
को संख्या नम्बर १८६ व १८७
होड दिने गमे इसी प्रकार पर्या
डिडी जारी करते समय संख्या
नम्बर ३०९, ३३३, १३५, १३५, १८६, १८७,
२२५, २२७ होड दिने गमे। उक्त
संख्या नम्बरान को निर्णय आदेश
व पर्या डिडी में अंकित किया जावे
हमने धर्षी के कथन पर मनन
किया। पत्रावली का महत्त्व अहम महत्त्व
किया। धर्षी के धारणा पत्र में अंकित
संख्या खसरा हैं। एवं धर्षी जारी है।
का धारणापत्र स्वीकार किये जाने
सोमम पाया जाता है। अतः धर्षी

नेरसिंह vs भीमसिंह
कावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक

कार्यालय पत्र स्वीकार किया जाता है
इस का न्यायालय द्वारा जारी निर्णय
दिनांक 03-09-2024 में बाह्य स्याही
में खसरा नम्बर ~~309~~ 186 व 187
अंकित किया जावे।
इसी तरह पन्चा डिप्टी दिनांक
03-09-2024 में बाह्य स्याही से खसरा
नम्बर 309, 333, 134, 135, 186, 187,
224, 227 जोड़े जावें। निर्णय एवं
पन्चा डिप्टी का शेष भाग पूर्ववत्
रखावी रहेगा। कार्यालय जारी
संलग्न भूरा काद पत्रावली रहे। सुनाया
गया।

३५

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (सैरथल-तिजारा) राज०